रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 348
No. 426] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3. 1939 [N.C.T.D. No. 348

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सं. 47/2017-राज्य कर

सं. फा. 3(42)/वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/डीएस-VI/745.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम 2017 है।

(2) ये 18 अक्तूबर 2017 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,

(i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रूप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा,—

(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता ; या

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता";

(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में, "तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्,"या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) **प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में,**

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"विवरण 2 [नियम 89 (2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

क्रम सं.	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7

बीआरसी/ एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतवर्लित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
सं.	तारीख			
8	9	10	11	12
				।"

(ख) "विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :—

"विवरण 4 [नियम 89 (2)(घ) और 89 (2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्दे

(रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन्न	**बीजक ब्यौरे**			**पोत परिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन पृष्ठांकित बीजक**		**एकीकृत कर**		**उपकर**	**नामे नोट यदि कोई हो, में अंतवर्लि एकीकृत कर और उपकर**	**जमा पत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर**	**शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10–11)**
	सं.	**तारीख**	**मूल्य**	**सं.**	**तारीख**	**कराधेय मूल्य**	**रकम**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											."

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को सं.फा. 03(10)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर, दिनांक 9 नवम्बर, 2017 को हुआ था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2017

No. 47/2017–State Tax

No. F. 3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/745.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 18th day of October, 2017.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in rule 89, insub-rule (1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, —

(a) the recipient of deemed export supplies; or

(b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund";

(ii) in rule 96A, in sub-rule (1), in clause (a), after the words "after the expiry of three months", the words ", or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be inserted;

(iii) in **FORM GST RFD-01,**

(a) for **"Statement-2",** the following Statement shall be substituted, namely:**-**

"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

";

(b) for **"Statement-4",** the following Statement shall be substituted, namely:**—**

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10–11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal rules were published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 22nd June, 2017 vide Notification No.F.3(10)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/342, dated 22.06.2017 and last amended vide Notification No. 45/2017-State Tax, dated 09.11.2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.28 19:33:17 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.